



# Khaitan CHEMICALS & FERTILIZERS LTD.

CIN : L24219MP1982PLC004937

Apollo Arcade, 3rd Floor, 1/2, Old Palasia, INDORE - 452 018 (M.P.) Phone : 4753666

Fax : 0731-2562572, E-mail : khaitanchemfert@gmail.com Website : www.khaitanchemfert.com



QMS-FM-552859  
EMS 552860  
OHS 552861

KCFL/2017/734

July 12, 2017

The Bombay Stock Exchange Ltd., Mumbai (BSE)  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street,  
MUMBAI-400 001  
022:22722037/39/41/61  
022: 22723121/3719

**Sub: Newspaper cutting of published Notice of 35<sup>th</sup> Annual General Meeting, Book Closure and Remote E-Voting.**


Dear Sir,

We are enclosing herewith the cutting of newspaper in which Notice of 35<sup>th</sup> Annual General Meeting, Book Closure and Remote E-Voting of the Company were published. The said information were published in Free Press (English Edition) and Choutha Sansar (Hindi Edition) dated July 11, 2017.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,  
for KHAITAN CHEMICALS AND FERTILIZERS LIMITED

  
CS KAMLESH JOSHI  
(Company Secretary & General Manager)

Gurgaon Office :  
K-9/4, House No. 4, Road No. 9,  
DLF City, Phase - II,  
Gurgaon - 122 002 (Haryana)  
Phone : 0124 - 4845777

Regd. Office :  
A.B. Road, Village Nimrani,  
Distt. - KHARGONE - 451 569 (M.P.)  
Phone : 07285-265448, 265447  
Fax : 07285-265449



अरुण कुमार सोनगरी निवासी एक्सटेंशन नंबर 10 कल शाम मामले की थाने पर शिकायत दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया कि रोज की तरह कल भी उसने वो अपनी स्कूटर (एमपी 09 एसवी 8667) को बाहर रोड पर पार्किंग में लाक लगाकर खड़ी की थी। स्कूटर की सीट के नीचे बनी डिक् की में कुछ सामान रखा था। कुछ देर बाद पारस का नजर पड़ा तो उसने देखा कि दो अज्ञात युवक उसकी स्कूटर के पास बैठकर पेचकस से डिक्की का ताला तोड़कर उसमें रखा सामान चुराने की कोशिश कर रहे थे। पारस ने बदमाशों को रंगेहाथ पकड़ने के

मुश्किल से अपने नाम अंकित पिता जगदीश (19) व विकास पिता रामदीन शुक्ला (19) दोनों निवासी परदेशीपुरा झोपडपट्टी बताया। आखिर पारस ने डायल-१०० पर फोन कॉल किया तब वहां पहुंची पुलिस की प्रतिक्रिया दोनों बदमाशों को पकड़कर अन्नपूर्णा रोड ले गईं जहां दोनों के खिलौने कारवाई की गई।

इस तौर पर बहुत कठालदास महाराज स्वामी ने कहा कि जीवन में सुख को भी अरुने शिष्टों की आवश्यकता होती है।

# डिक्की से सामान चुराते दो चोरों को रंगेहाथ पकड़ा

इंदौर, 11 जुलाई (नप्र)। भरे बाजार में सड़क किनारे खड़ी स्कूटर पर बैठकर उसकी डिक्की से रखा सामान चुराने का प्रयास करते दो चोरों को गाड़ी मालिक व अन्य लोगों ने री हाथ पकड़ लिया। फिर तो भीड़ ने उनकी अच्छी खासी धुनाई की तब दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया।

अन्नपूर्णा इलाके में ये घटना कल दोपहर करीब ४ बजे श्याम बाजार सुपर बाजार, उगानगर एक्सटेंशन के समीप हुई। वहां एकान चलाने वाले पारस पिता अरुण कुमार सोनगरी निवासी उगानगर एक्सटेंशन नंबर 10 मामले की थाने पर शिकायत दर्ज करते हुए पुलिस को बताया कि रोज की तरह कल भी उसने वो अपनी स्कूटर (एमपी 09 एसवी

8667) को बाहर रोड पर पार्किंग में लाक लगाकर खड़ी की थी। स्कूटर की सीट के नीचे बनी डिक् की में कुछ सामान रखा था। कुछ देर बाद पारस की नजर पड़ी तो उसने देखा कि दो अज्ञात युवक उसकी स्कूटर के पास बैठकर पेचकस से डिक्की का ताला तोड़कर उसमें रखा सामान चुराने की कोशिश कर रहे थे। पारस ने बदमाशों को रंगेहाथ पकड़ने के चुपचाप जाकर पटोस की मोबाइल की दुकान में बैठे धनराज गौहर को सारी बात बताई, तब दोनों ने बाहर निकल कर घेराबंदी करते हुए उन चोरों को पकड़ लिया। इस बीच वहां आसपास के अन्य दुकानदार व रहवासी बड़ी संख्या में एकत्रित होने लगे तब दोनों बदमाश भीड़ से बचने के लिए हाथापाई करने लगे। इस पर लोगों ने उनकी जमकर पिटाई कर डाली। पारस ने लोगों को रोका फिर बदमाशों से पूछताछ की तो उन दोनों ने बड़ी मुश्किल से अपने नाम अंकित पिता जगदीश (19) व विकास पिता रामदीन शुक्ला (19) दोनों निवासी परदेशीपुरा झोपडपट्टी बताया।

# आए आवेदन

उसे 6 माह की मोहलत दी थीक परिस्थिति ठीक होते ही कर देंगे। मामले में उचित हेतु संबंधित क्षेत्र के एसडीएम तैयार किया गया है। एक अन्य कैलाशचन्द्र पिता रामेश्वर शिवकर्मा नगर अन्नपूर्णा रोड भरण-पोषण अधिनियम के तहत प्रणार जारी आदेशानुसार भरण-पोषण लेवे स्वीकृत राशि न दिये जाने में अपने बड़े बेटे के विरुद्ध की तथा अपने बड़े लड़के भरण-पोषण की राशि दिलवाने का किया है। उक्त मामले में अनुविभागीय अधिकारी राऊत किया गया है।

**नाम परिवर्तन सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेधा नाम राजीव वर्मा था। जो अब परिवर्तित होकर राजीव सिंह हो गया है। अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जावे।

**राजीव सिंह पिता सत्यनारायण सिंह**  
29, श्री मंगल इस्टेट, श्री मंगल नगर, बंगाली पौराहा के पास, इन्दौर-452018

**खेतान केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड**  
सी.आई.एन.: L24219MP1982PLC004937  
पंजीकृत कार्यालय: ए.बी. रोड, ग्राम निगरानी, तहसील कसरावद, जिला खरान (म.प्र.) फोन: 0731-4237926, फैक्स: 0731-4753655  
ई-मेल: [khaitanchemfert@gmail.com](mailto:khaitanchemfert@gmail.com), वेबसाइट: [www.khaitanchemfert.com](http://www.khaitanchemfert.com)

**35वीं वार्षिक साधारण सभा (ए.जी.एम.), रिमोट ई-वोटिंग तथा बही बंदी एवं लाभान्श की सूचना**

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि:

- कंपनी के सदस्यों की 35वीं वार्षिक साधारण सभा (ए.जी.एम.) पंजीकृत कार्यालय, ए.बी. रोड, ग्राम निगरानी, तहसील कसरावद, जिला खरान-451609 (मध्यप्रदेश) में मंगलवार दिनांक 22 अगस्त, 2017 को दोपहर 3:00 बजे आयोजित की जाएगी, जिसमें ए.जी.एम. की सूचना में निर्दिष्ट साधारण और विशेष व्यवसाय निर्धारित किए जाएंगे। ए.जी.एम. की सूचना के साथ व्याख्यात्मक विवरण तथा 2016-17 की वार्षिक प्रतिवेदन की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां एरो रानी जवयारों को भेजी गयी है जिनाकी ई-मेल आई डी कंपनी तथा डिजिटल सिग्नेचर के मात पंजीकृत है और उनकी शैलिक प्रतियां अन्य रानी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से उनके पंजीकृत पते पर निर्धारित विधि में भेजी गयी है, ये वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट: <http://www.khaitanchemfert.com> पर भी उपलब्ध है।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधान एवं कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन), नियम 2014 के नियम 20, जो कि स्वयं-समय पर संशोधित हुये हैं, एवं सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अभिज्ञाप) विनियमावली, 2015, के विनियम 44 के अनुपालन हेतु, सदस्यों के, जिनके नाम व्यवसायिक समय को समाप्त होने पर सुधवार, 16 अगस्त, 2017 (विच्छेदन तिथि) पर उपस्थित है, वो नेशनल सिन्डिकेटेड डिजिटल सिग्नेचर लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) द्वारा उपलब्ध करायी गयी रिमोट ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से ए.जी.एम. की सूचना में निर्दिष्ट साधारण और विशेष व्यवसाय पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपनी मतदान कर सकते हैं। इस संबंध में विशेष सवस्यों को सूचित किया जात है कि:
  - ए.जी.एम. की सूचना में निर्दिष्ट साधारण और विशेष व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक सवस्यों तथा ए.जी.एम. में मतपत्र द्वारा वोटिंग के माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है;
  - ए.जी.एम. की सूचना में कार्य गुल्यार, 06 जुलाई, 2017 को पूर्ण किया जा चुका है;
  - ई-वोटिंग अवधि सितंबर, 19 अगस्त, 2017 को प्रातः 9:00 बजे प्रारंभ होगी तथा सोमवार, 21 अगस्त, 2017 को सायं 5:00 बजे समाप्त होगी;
  - ई-वोटिंग की अनुमति सोमवार, 21 अगस्त, 2017 को सायं 5:00 बजे के बाद नहीं दी जा सकती है;
  - ए.जी.एम. की सूचना कंपनी की वेबसाइट: <http://www.khaitanchemfert.com> तथा एन.एस.डी.एल. की वेबसाइट: <http://www.evoting.nsdl.com> पर भी उपलब्ध है;
  - एक बार सवस्यों द्वारा राकल्प पर मतदान का प्रयोग किया जाता है तो सवस्यों को इसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
  - ई-वोटिंग करने से पहले सदस्यवग ए.जी.एम. की सूचना में जो प्रक्रिया एवं तरीके निर्देशित है उसे सखी तरह समझ लें। तथा पूछताछ के लिए सदस्यवग <http://www.evoting.nsdl.com> के डाउनलोड चॉट में Frequently Asked Questions (FAQs) तथा ई-वोटिंग सूचना मैन्युअल देखें अथवा एन.एस.डी.एल. की ई-मेल आई डी: [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) पर संपर्क करें या सवस्यवग कंपनी सचिव को इस ई-मेल आई डी: [khaitanchemfert@gmail.com](mailto:khaitanchemfert@gmail.com) पर अथवा पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी संपर्क कर सकते हैं।

एसा कोई भी व्यक्ति जिसने ए.जी.एम. की सूचना प्रेषण के बाद किंतु विच्छेदन तिथि सुधवार, 16 अगस्त 2017 से पूर्व अंश अंशित किए हैं तथा कंपनी का सदस्य बना है या जिसका नाम विच्छेदन की तिथि को डिजिटल सिग्नेचर द्वारा अनुमति लभगी सवसियों की पंजिका में दर्ज पाया जाएगा वो ए.जी.एम. की सूचना कंपनी या एन.एस.डी.एल. की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं और वो एन.एस.डी.एल. की ई-मेल आई डी: [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) अथवा कंपनी की ई-मेल आई डी: [khaitanchemfert@gmail.com](mailto:khaitanchemfert@gmail.com) पर ई-वोटिंग के लिए प्रार्थना मेजकर अपनी वृजर आई डी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए एन.एस.डी.एल. में पहले से पंजीकृत है तो वह मतदान करने के लिए वर्तमान वृजर आई डी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है।

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अभिज्ञाप) विनियमावली, 2015 के विनियम 42 के अनुपालन हेतु, कंपनी के सदस्यों की पंजिका तथा अंश हस्तांतरण बहियां गुल्यार, 17 अगस्त, 2017 से मंगलवार, 22 अगस्त 2017 तक (यह दोनों दिन भी शामिल हैं) ए.जी.एम. तथा लाभान्श के लिए अंशधारकों की अधिकारिता निर्धारित करने के उदेश्य से बंद रहेगी, यदि अंशधारकों द्वारा घोषित किया जाता है।

**बोर्ड के आदेश द्वारा**  
**खेतान केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड**  
हस्ताक्षरित  
कमलेश जोशी  
(कंपनी सचिव एवं महाप्रबंधक)

स्थान: इन्दौर  
दिनांक: 11.07.2017

Choutha Sansar 12/07/2017